UPFT010000422025

न्यायालय-अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-2, फतेहपुर।

उपस्थितः पूजा विश्वकर्मा..... उच्चतर न्यायिक सेवा (उ०प्र०)

J.O. Code-UP1542

दाण्डिक पुनरीक्षण सं०- 02/2025

लक्ष्मीनारायन साहू उम्र लगभग 65 वर्ष पुत्र स्व० सूरजदीन साहू निवासी ग्राम व पोस्ट गाजीपुर, जिला फतेहपुर, वर्तमान निवासी गाजीपुर रोड निकट एस्सार पेट्रोल पम्प मलाका, थाना राधानगर, जिला फतेहपुर।

.....रिवीजनकर्ता।

बनाम

01. सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा डी०जी०सी० क्रिमिनल।

02. कमलेश कुमार उम्र लगभग 52 वर्ष पुत्र रामलखन साहू निवासी राधानगर चौराहा (बैंक ऑफ बड़ौदा वाली बिल्डिंग), थाना राधानगर, शहर जिला फतेहपुर।

03. दिनेश कुमार उम्र लगभग 47 वर्ष पुत्र रामलखन साहू निवासी ग्राम व पोस्ट व थाना गाजीपुर, जिला फतेहपुर।

.....विपक्षीगण।

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या 02/2025 अन्तर्गत धारा 438 बी०एन०एस०एस० पुनरीक्षणकर्ता लक्ष्मीनारायन साहू द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय ए०सी०ज०एम०, कोर्ट संख्या-03, फतेहपुर द्वारा परिवाद सं०- 4284/2017 लक्ष्मीनारायन बनाम कमलेश कुमार आदि धारा 138 एन०आई० एक्ट, थाना खागा, जिला फतेहपुर में पारित आदेश दिनांकित- 2011.2024 के विरूद्ध संस्थित की गई है।

2. पुनरीक्षण संख्या 02/2025 में पुनरीक्षणकर्ता की ओर से कथन किया गया है कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांकी 20.11.2024 विधि एवं न्याय के विपरीत होने के साथ-साथ औचित्यहीन है। संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि रिवीजनकर्ता ने अपनी अति महत्वपूर्ण सख्त आवश्यकतावश ही अपनी भूमि विपक्षीगण सं० 2 व 3 को बेंचा था जिसके प्रतिफल की धनराशि के बावत विपक्षीगण सं० 2 व 3 द्वारा मु० 3,50,000/- (तीन लाख पचास हजार) रुपये की पंजाब नेशनल बैंक की चेक सं० 754121 दिनांकी 03.04.2017 दी गयी जो बाउन्स (अनादरित) हो गयी जिससे उक्त धनराशि रिवीजनकर्ता को

Digitally signed by POOJA VISHWAKARMA
Date: 2026.04.16 16:02:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उस आपात काल में नहीं मिली। रिवीजनकर्ता ने अपनी जमीन अपनी सख्त आवश्यकता हेतु जिस आपात परिस्थिति के मद्देनजर रुपयों की तत्कालिक आवश्यकता हेतु अपने व परिवार की जीविका वाली भूमि विपक्षीगण को बेंची थी, वह समय से रुपये न मिलने से निरर्थक हो गया था। रिवीजनकर्ता ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय में परिवाद सं० 4284/2017 योजित करके मांग किया कि विपक्षीगण सं० 2 व 3 द्वारा जानबूझकर की गयी हरकत से रिवीजनकर्ता की हुई अपूर्णनीय क्षति के लिए उसके विरुद्ध एन०आई० एक्ट के प्रावधानों के तहत सख्त कार्यवाही की जाये और एक्ट के मुताबिक मूल धनराशि की दो गुना धनराशि व धनराशि की देय तिथि से अब तक का 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज तथा रिवीजनकर्ता की हुई हानि की क्षतिपूर्ति कराने के साथ-साथ मुकदमा हर्जा खर्चा दिलाया जाय और विपक्षीगण को एक्ट में उल्लिखित कारावास से भी दण्डित किया जाय। रिवीजनकर्ता को अपनी अति महत्त्वपूर्ण सख्त आवश्यकतावश रुपयों के समय से न मिलने के कारण अब आवश्यकता न रह जाने के बाद एवं रिवीजनकर्ता द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ कर देने के बाद विपक्षीगण सं० 2, 4, 3 उपरोक्त कार्यवाही एवं दण्ड से बचने हेतु सिर्फ दिखावटी तौर पर रुपये देने व बैंक ड्राफ्ट देने का दिखावा करते रहे और उनका उक्त दिखावा 5-6 साल तक लगातार चलता रहा।विपक्षीगण सं० 2 व 3 बेहद धनाढ्य एवं प्रभावशाली व्यक्ति हैं साथ ही विपक्षीगण सं० 2 व 3 धोखेबाज व जालसाज एवं फरेबी तथा ड्रामाबाज भी हैं, जो कि अन्तिम मजबूरी तक किसी का भी बकाया वास्तव में देते नहीं है, बल्कि देने के लिए तैयार होने का झूठा ड्रामा करते हैं और अपने प्रभाव का बेजा इस्तेमाल करके अधिकारियों से झूठी सहानुभूति भी हासिल करने में सफल हो जाते हैं और ऐसी ही कोशिश विपक्षीगण सं० 2 व 3 ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय में भी किया है। न्यायालय ने विपक्षीगण सं० 2 व 3 के जिस प्रार्थना पत्र दिनांकी 24.07.2023 को स्वीकार करते हुए आलोच्य आदेश दिनांकी 20.11.2024 पारित किया है। वह प्रार्थना पत्र ही विधि विरुद्ध है क्योंकि उनके द्वारा पूर्व में भी उसी आशय का एक समान्तर प्रार्थना पत्र दिनांकी 03.06.2022 को भी प्रस्तुत किया जा चुका था, जो सुनवाई उपरान्त तत्कालीन पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 22.05.2023 को निरस्त कर दिया गया था। इसलिए उसी बिन्दु पर पुनः प्रार्थना पत्र दिनांक 24.07.2023 ही विधि विरुद्ध था किन्तु फिर माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने उसे गलत ढंग से स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांकी 20.11.2024 पारित करके रिवीजनकर्ता के साथ घोर अन्याय किया है। न्यायालय ने आलोच्य आदेश दिनांकी 20.11.2024 महज विपक्षीगण के झूठे कथनों पर विश्वास करके अनावश्यक रूप से भावनाओं में बहकर विधि विरुद्ध आदेश पारित किया है। न्यायालय ने रिवीजनकर्ता के साथ विपक्षीगण द्वारा जानबूझकर की गयी बेजा हरकत एवं उससे हुई रिवीजनकर्ता की अपूर्णनीय क्षति को मानसिक पटल पर रखे बगैर अनावश्यक रूप से बेहद लचीलापन दिखाते हुए

विपक्षीगण सं० 2 व 3 के झूठे कथनों पर विश्वास करके मात्र मूल धनराशि व महज चन्द रुपये का तुच्छ ब्याज जमा करने का आदेश पारित करके रिवीजनकर्ता के साथ घोर अन्याय किया है। न्यायालय को भावनाओं में बहकर आलोच्य आदेश दिनांकी 20.11.2024 पारित न करके एन०आई० एक्ट के प्रावधानों के अनुसार विपक्षीगण सं० 2 व 3 को दण्डित करते हुए उन्हें मूलधन व उस पर 18 प्रतिशत का ब्याज एवं मूलधन का दो गुना जुर्माना तथा रिवीजनकर्ता को हुई 10 लाख की क्षतिपूर्ति व हर्जा खर्चा मुकदमा आदि देने हेतु सख्त आदेश पारित करके रिवीजनकर्ता को न्याय प्रदान करना चाहिए था, किन्तु ऐसा न करके माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने विधि व न्याय विरोधी एवं औचित्यहीन मनमानीपूर्ण आलोच्य आदेश दिनांकी 20.11.2024 पारित किया है। न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकी 20.11.2024 के कायम रहने से रिवीजनकर्ता को भविष्य में अपूर्णनीय क्षति होने की पूरी-पूरी सम्भावना है और विपक्षीगण सं० 2 व 3 अनावश्यक रूप से एन०आई० एक्ट के दण्डनीय सख्त प्रावधानों से भी बच सकते हैं तथा रिवीजनकर्ता को समुचित न्याय नहीं मिल पायेगा। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का अन्यायपूर्ण आदेश दिनांक 20.11.2024 हरहाल में निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः रिवीजन स्वीकार करते हुए माननीय अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांकी 20.11.2024 निरस्त किये जाने तथा रिवीजनकर्ता को न्याय प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

3. उपरोक्त पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है।

4. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण / विपक्षीगण द्वारा प्रार्थनापत्र दिनांकित 24.07.2023 को प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थीगण पैसा देने को तैयार है और परिवादी द्वारा प्रेषित नोटिस के जवाब में भी प्रार्थीगण ने प्रत्युत्तर दिया था कि परिवादी जिस तरह से चाहे पैसा ले लेवे, किन्तु परिवादी ने पैसा नहीं लिया और नोटिस के जवाब को छुपाकर मुकदमा योजित कर दिया। परिवादी ने बैंक मैनेजर को भी मुल्जिम बनाया था और उन्होंने तलबी के विरूद्ध निगरानी योजित किया था। उक्त निगरानी में परिवादी भी विपक्षी था, जिसमें उसने यह स्वीकार किया था कि प्रार्थीगण ने उसके द्वारा प्रेषित नोटिस के जवाब में उसे लिखा था कि वह पैसा देने को तैयार है। निगरानी आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली में दाखिल है। इससे पूर्व भी परिवादी की सहमति के आधार पर प्रार्थीगण ने रु० 3,50,000/- रु० का ड्राफ्ट न्यायालय में प्रस्तुत किया था तथा 20,000/-रु० नकद देना था, किन्तु बाद में परिवादी उक्त रकम लेने से मुकर गया। परिवादी माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के यहां निगरानी में सहमत हो गया था। तदानुसार 3,50,000/-रु० का ड्राफ्ट प्रार्थीगण ने न्यायालय में जमा कर दिया है तथा ब्याज स्वरूप 50,000/-रु० का चेक दे दिया है किन्तु परिवादी बदनियती से उसे लेने से इंकार कर रहा है। उसका एकमात्र उद्देश्य प्रार्थीगण को प्रताड़ित

करना एवं विधि विरूद्ध तरीके से गलत धनराशि प्राप्त करना है। विदित हो कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि यदि चेक की धनराशि के सापेक्ष उचित धनराशि प्रस्तावित या जमा की जाती है, तो न्यायालय अपने विवेक के आधार पर परिवाद को समाप्त कर सकता है। परिवादी द्वारा जिस प्रतिशत से क्षतिपूर्ति मांगी जा रही है वह विधि विरूद्ध है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रदत्त धनराशि उचित प्रार्थीगण का चेक तकनीकी तौर पर कथित रूप से जारीकर्ता से फोन से सम्पर्क न हो पाने के कारण पुनः सम्पर्क करने के निर्देश के साथ वापस किया गया। जबकि खाते में पैसा उपलब्ध था। न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर, फतेहपुर द्वारा वाद सं०-टी 201902250101529 धारा-35 (2) उ०प्र०रा०सं०, लक्ष्मी नारायण साहू बनाम कमलेश कुमार आदि मौजा सामियाना, जिला-फतेहपुर नामान्तरण आदेश के विरूद्ध अपील थी, उसमें भी प्रार्थीगण पैसा देना चाह रहे थे और लक्ष्मीनारायण साहू तैयार हो गये और तय हुआ था कि दिनांक 07.01.2020 को प्रार्थीगण 3,50,000/-रु० अपीलार्थी को अदा करेंगे और उसके अनुसार प्रार्थीगण उपजिलाधिकारी न्यायालय में दिनांक 07.01.2020 को प्रातः 11:00 बजे से 4:00 बजे शाम तक इंतजार करते रहे, किन्तु लक्ष्मीनारायण साहू उपस्थित नहीं हुये। तब न्यायालय ने अपील निरस्त करते हुये आदेश सिविल दिनांक 08.01.2020 में लिखा कि "अपीलकर्ता लक्ष्मीनारायण साहू उपरोक्त धनराशि लेने हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता महज प्रतिपक्षी कमलेश कुमार आदि को परेशान करने में आमादा है तथा अपीलकर्ता यह भली भांति जानता है कि पैसा यदि उनसे ले लेता है, तो उन्हें परेशान नहीं कर सकेगा। इसी उद्देश्य से देश पैसा नहीं ले रहा है।" इस प्रकार यह स्पष्ट है कि परिवादी न्यायिक प्रावधान का दुरूपयोग मात्र कर रहा है। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये ड्राफ्ट प्रदत्त धनराशि के आधार पर परिवाद की कार्यवाही निरस्त व समाप्त करने की कृपा करें।

5. विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा कथन किया गया कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य एवं साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध साक्ष्य का विधिसम्मत अवलोकन करने के उपरांत आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की अवैधता, अनियमितता या अशुद्धता नहीं है।

6. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित- 20.11.2024 का अवलोकन किया।

7. विद्वान विचारण न्यायालय ने विपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 24.07.2023 को स्वीकार करते हुए यह निष्कर्ष दिया है कि प्रकरण में धारा 117(C) परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न हो पाने के कारण उभयपक्ष में सुलह नहीं हो पा रही है। धारा 117(C) परक्राम्य लिखत अधिनियम पृष्ठांकक (Endorser) के मामले में लागू होती है, जो इस मामले में नहीं। इसलिए प्रकरण में धारा 117(C) परक्राम्य लिखत अधिनियम का पालन आवश्यक नहीं है। उपरोक्त निष्कर्ष देते हुए विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विपक्षी का प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया है कि अभियुक्त कुल भुगतान राशि 3,50,000/- रुपए व 50,000/- रुपए ब्याज अंदर तीन दिवस जमा करे। यदि परिवादी समझौते के लिए सहमत हो, तो उसे इस राशि की निकासी की अनुमति होगी अन्यथा वाद धारा 138 एन०आई०एक्ट० के अंतर्गत जारी रहेगा। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर पुनरीक्षकर्ता द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण संस्थित किया गया है।

8. पुनरीक्षण के स्तर पर पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विवेचन अपीलीय न्यायालय की तरह नहीं किया जा सकता है। पुनरीक्षण के स्तर पर पुनरीक्षेण न्यायालय अवर न्यायालय के आदेश की शुद्धता, वैधता तथा औचित्यता के सम्बंध में ही विचार कर सकता है। इसी प्रकार का सिद्धान्त **नत्थू व अन्य प्रति उत्तर प्रदेश राज्य, (2016) 1 जे0 आइ 0 सी0 325 इलाहाबाद** की विधि व्यवस्था में दिया गया है कि पुनरीक्षण न्यायालय को अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश में पुनरीक्षण न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुये विशिष्ट परिस्थितियों में ही हस्तक्षेप किया जाना चाहिये, जब तक कि अवर न्यायालय के आदेश में विधि सम्बंधी कोई गंभीर अवैधता या अनियमितता दर्शित न होती हो।

9. 2012 (3) जे0 आई 0 सी0 पृष्ठ 772 (सुप्रीम कोर्ट) अमित कपूर बनाम रमेश चन्द्र तथा अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह विधि व्यवस्था दी है कि :-

पुनरीक्षण न्यायालय का क्षेत्राधिकार एक सीमित क्षेत्राधिकार है और इसका प्रयोग नैत्यिक तरीके से नहीं किया जाना चाहिए।

न्यायालय को पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग उन परिस्थितियों एवं मामलों में करना चाहिए जहाँ पर :-

1. जिस निर्णय/आदेश को चुनौती दी गयी है, वह बिल्कुल गलत है,

2. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विधिक प्राविधानों का पालन नहीं किया गया है और,

3. बिना किसी साक्ष्य के निष्कर्ष दिये गये हैं,

4. तात्विक साक्ष्य को अनदेखा किया गया है तथा

5. न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग मनमाने तरीके से या तर्कों के विरूद्ध किया गया है।

10. उपरोक्त विधि व्यवस्था के आलोक में न्यायालय को इस तथ्य का विनिश्चयन करना है कि क्या विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करते समय विधिक प्राविधानों का पालन न करते हुए तात्विक साक्ष्य की अनदेखा तो नहीं किया गया।

11. पुनरीक्षण के स्तर पर पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विवेचन अपीलीय न्यायालय की तरह नहीं किया जा सकता है। पुनरीक्षण के स्तर पर पुनरीक्षण न्यायालय अवर न्यायालय के आदेश की शुद्धता, वैधता तथा औचित्यता के सम्बंध में ही विचार कर सकता है।

12. प्रस्तुत प्रकारण में पुनरीक्षकर्ता लक्ष्मीनारायन साहू के कथनानुसार वह विपक्षीगण कमलेश कुमार, दिनेश कुमार व सतीश कुमार को अपनी जमीन का गाटा संख्या 649, 682, 684 का 1/2 हिस्सा वांछित धनराशि पर बेंचने को तैयार हो गया था। विपक्षीगण द्वारा एक लाख रुपए नकद एवं सात लाख रूपए की दो चेकें 754121 व 000034 दी गयीं थीं। पुनरीक्षकर्ता ने अपने खाता संख्या 54170100002603 में कैश क्रेडिट होने हेतु जमा किया गया जिनमें एक चेक नंबर 000034 क्रेडिट हो गया तथा दूसरा चेक नंबर 754121 क्रेडिट नहीं हुआ था। चेक बाउंस होने की सूचना जरिये रजिस्ट्री दिनांक 24.04.2017 प्राप्त करवाई गई, किंतु उक्त चेक का भुगतान विपक्षीगण द्वारा नहीं किया गया।

13. मूल पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात हो रहा है कि पक्षकारों के मध्य कई बार सुलह के प्रयास हुए हैं जिसमें विपक्षीगण मूल धनराशि अंकन 3,50,000/- रुपए तथा प्रतिकर धनराशि पहले 20,000/- रुपए तथा बाद में 50,000/- रुपए देने को तैयार हुए, परंतु परिवादी धारा 117(C) परक्राम्य लिखत अधिनियम के अनुपालन के बिना सुलह हेतु तैयार नहीं हुआ। धारा 117(C) परक्राम्य लिखत अधिनियम के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि उक्त धारा के अंतर्गत पृष्ठांकक द्वारा अदा की गई धनराशि तथा उस पर 18% ब्याज प्राप्त कर पाने का अधिकारी है। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी पृष्ठांकक नहीं है, न ही पृष्ठांकक द्वारा परिवादी को कोई धनराशि अदा की गई है। ऐसे में स्पष्ट रूप से धारा 117(C) परक्राम्य लिखत अधिनियम प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होती।

14. इस प्रकार आदेश दिनांक 20.11.2024 में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांकित-24.07.2023 के तथ्यों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है तथा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करके विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है। पुनरीक्षणकर्ता के पास समस्त साक्ष्य न्यायालय के समक्ष जांच हेतु प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर है।

15. अतः उपरोक्त समस्त परिचर्चा के आधार पर इस न्यायालय का मत है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20.11.2024 में कोई वैधानिक त्रुटि अथवा अनियमितता नहीं है। तदनुसार दाण्डिक पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या 02/2025 निरस्त किया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद संख्या 4284 सन् 2017, लक्ष्मी नारायण साहू बनाम कमलेश कुमार आदि में पारित आदेश दिनांकित 20.11.2024 पुष्ट किया जाता है। आदेश की प्रति मूल पत्रावली सहित विद्वान विचारण न्यायालय प्रेषित हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(पूजा विश्वकर्मा)
दिनांक- 16.04.2026 अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या-02, फतेहपुर।
J.O. Code-UP1542

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

(पूजा विश्वकर्मा)
दिनांक- 16.04.2026 अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या-02, फतेहपुर।
J.O. Code-UP1542